कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 481 दिनांकः– 04/5/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **ग्राम–बोंड़ा, थाना–हंटरगंज–133, खाता नं0–85 प्लॉट नं0–40 पर 132/3 के0वी0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 अधिसूचित वनभूमि अपयोजन के संबंध में।**

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 3428 दिनांक 25.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना प्रस्ताव सं0 FP/JH/Substation/39837/2019 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1298 दिनांक 08.07.2019 द्वारा दिये गये मंतव्य के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची से वन विभागीय पत्रांक 3428 दिनांक 25.11.2022 द्वारा मंतव्य/प्रतिवेदन की मांग की गयी है। इसके निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1237 दिनांक 05.12.2022, पत्रांक 158 दिनांक 20.02.2023, पत्रांक 322 दिनांक 23.03.2023 एवं पत्रांक 467 दिनांक 02.05.2023 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची से मंतव्य हेतु अनुरोध किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1496 दिनांक 16.12.2022 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से प्रतिवेदन की मांग की गयी। तदोपरांत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 381 दिनांक 09.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में समर्पित किया गया जो निम्नवत् है:–

"विषयक परियोजना में सरकार के वन विभागीय पत्रांक 2717 दिनांक 19.07.2019 द्वारा वनभूमि अपयोजन के लिए क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर मजरूआ खास जंगल–झाड़ी मौजा–नावाडीह, पनारी एवं केवाल में रकवा–8.08 हे0 संबंधी सुसंगत अभिलेख सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1120 दिनांक 02.11.2022 द्वारा सरकार को प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तत्पश्चात् सरकार के पत्रांक 3428 दिनांक 25.11.2022 द्वारा भवदीय के पत्रांक 1298 दिनांक 08.07.2019 से प्रतिवेदित मंतव्य पर वैकल्पिक स्थल संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 61 दिनांक 06.01.2023 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से पुनः वैकल्पिक स्थल चयन हेतु निदेशित किया। इस क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 17 दिनांक 12.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वैकल्पिक स्थल का प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल को समर्पित किया गया जो वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा ने अपने पत्रांक 119 दिनांक 08.02.2023 द्वारा इस कार्यालय को समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया है कि विषयक परियोजना का प्रस्ताव हेतु वैकल्पिक स्थल क चयन कर लिया गया है। इसका स्थलीय निरीक्षण वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा दिनांक 14.01.2023 को किया गया जिसमें पाया गया

04.05.2023

कि पूर्व के प्रस्तादित स्थल के प्लॉट पर ही नये स्थल का चिन्हित किया गया जिसमें कुल 152 वृक्षों के पातन होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में गये नये प्रस्तावित स्थल उक्त ग्रिड सब स्टेशन के लिए उपयुक्त है, जिसका वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा नये चयनित स्थल का फोटोग्राफ्स तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित की गई Geo-Reference Map, Topo Map, Kml File, Cadastral Map, Tree Enumeration List इत्यादि इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। पूर्व में ही उक्त प्लॉट के लिए उपायुक्त, चतरा द्वारा FRA प्रमाण पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है।"

वृक्षों का गणना सूची का सारांश निम्नवत् है :–

(क)	सागवान	–	66 पेड़
(ख)	महुआ	–	31 पेड़
(ग)	शीशम	–	55 पेड़
	कुल :	–	152 पेड़

उपरोक्त के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 554 दिनांक 02.05.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मंतव्य इस कार्यालय में समर्पित किया गया है जो निम्नवत् है:–

"प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1298 दिनांक 08.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित मंतव्य पर वैकल्पिक स्थल संबंधी प्रतिवेदन की माँग की गई थी। स्थलीय निरीक्षण वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा दिनांक 14.01.2023 को किया गया, जिसमें पाया गया कि पूर्व के प्रस्तावित स्थल के प्लॉट पर ही नये स्थल चिन्हित किया गया है, जिसमें कुल 152 वृक्षों का पातन होगा। प्रस्तावित नये स्थल उक्त ग्रिड सब स्टेशन के लिए उपयुक्त माना गया है। जिसकी सूचना क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 381 दिनांक 09.02.2023 द्वारा भवदीय को भी सीधे दी गई है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों के वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में अंकित सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नलिखित है:–

1. चतरा–हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन 132 के0वी0 डी0सी0 (वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव 53.2129 हे0) को इसी सब–स्टेशन से जोडा जाना है, जिसमें वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने की आवश्यकता की सूचना पूर्व में समर्पित है। फलतः विशयक प्रस्तावित 132/33 के0वी0 ग्रिड सब स्टेशन के लिए 4.04 हे0 अधिसूचित वनभूमि को उक्त चतरा–हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन 132 के0वी0 डी0सी0 (वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव 53.2129 हे0) ट्रांसमिशन लाईन के वन्यप्राणी प्रबंधन योजना में जोडा जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

2. ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण से उद्‌भूत वन्यप्राणियों के habitat Fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पडने के परिपेक्ष्य में Project Cost पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

3. ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Bottom conductor (Sag के साथ) ground clearance कम से कम 25 फीट हो ताकि वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के आवागमन के समय कोई दुर्घटना न हो।

04.05.2023

4. वन्यप्राणियों विशेषकर हाथियों के संभावित electrocution से बचाव के लिए ABC cable (insulated Aerial Bundled Cable) का यथा संभव प्रयोग किया जाना अपेक्षित होगा।

5. Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco & Friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife (2016)" में निहित मार्गदर्शन इस विषय पर उपलब्ध अन्य authentic literature तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के आलोक में Site specific Wildlife Management Plan का निर्माण किया जायेगा।"

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन की तीन प्रतियां एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची द्वारा प्राप्त मंतव्य इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रासंगिक पत्र के क्रम में भेजते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु **स्टेज–I** प्राप्ति की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं HoFF, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।
वैकल्पिक स्थल संबंधी प्रतिवेदन
की तीन प्रतियां एवं CWLW का मंतव्य।

विश्वासभाजन
04.05.2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

4.5.23

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\बाँड़ा-हंटरगंज- के0वी0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0.docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड
वन भवन, डोरण्डा, रांची-834002
Email : pccf-wildlife@gov.in,Phone No. 0651-2481744

पत्रांक : 554 रांची दिनांक: 2/5/2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

1327
02/5/2023

विषयः– **ग्राम–बोडा, थाना–हंटरगंज (133), खाता न0–85, प्लॉट न0–40 पर 132/33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 अधिसूचित वन भूमि अपयोजन के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका कार्यालय पत्रांक 158 दिनांक 20.02.2023**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1298 दिनांक 08.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित मंतव्य पर वैकल्पिक स्थल संबंधी प्रतिवेदन की माँग की गई थी। स्थलीय निरीक्षण वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा दिनांक 14.01.2023 को किया गया, जिसमें पाया गया कि पूर्व के प्रस्तावित स्थल के प्लॉट पर ही नये स्थल चिन्हित किया गया है, जिसमें कुल 152 वृक्षों का पातन होगा। प्रस्तावित नये स्थल उक्त ग्रिड सब स्टेशन के लिए उपयुक्त माना गया है। जिसकी सूचना क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 381 दिनांक 09.02.2023 द्वारा भवदीय को भी सीधे दी गई है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों के वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में अंकित सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नलिखित हैः–

Kamruddin

02/05

1. चतरा–हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन 132 के0वी0 डी0सी0 (वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव 53.2129 हे0) को इसी सब–स्टेशन से जोडा जाना है, जिसमें वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने की आवश्यकता की सूचना पूर्व में समर्पित है। फलतः विषयक प्रस्तावित 132/33 के0वी0 ग्रिड सब स्टेशन के लिए 4.04 हे0 अधिसूचित वनभूमि को उक्त चतरा–हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन 132 के0वी0 डी0सी0 (वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव 53.2129 हे0) ट्रांसमिशन लाईन के वन्यप्राणी प्रबंधन योजना में जोडा जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

2. ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण से उद्भूत वन्यप्राणियों के habitat Fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पडने के परिपेक्ष्य में Project Cost पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

3. ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Bottom conductor (Sag के साथ) ground clearance कम से कम 25 फीट हो ताकि वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों के आवागमन के समय कोई दुर्घटना न हो।

4. वन्यप्राणियों विशेषकर हाथियों के संभावित electrocution से बचाव के लिए ABC cable (insulated Aerial Bundled Cable) का यथा संभव प्रयोग किया जाना अपेक्षित होगा।

5. Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco & Friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife (2016)" में निहित मार्गदर्शन इस विषय पर उपलब्ध अन्य authentic literature तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के आलोक में Site specific Wildlife Management Plan का निर्माण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

02/5/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,

Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक : 381 दिनांक : 09.02.2023

544
17/02/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची।

कैमुद्दीन मियाँ

विषयः– **ग्राम बोंड़ा, थाना–हंटरगंज–133, खाता नं0–85, प्लॉट नं0–40 पर 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 अधिसूचित वन भूमि अपयोजन के संबंध में।**

16/02

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 1496 दिनांक 16.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना ग्राम बोंडा, थाना–हंटरगंज–133, खाता नं0–85, प्लॉट नं0–40 पर 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव ऑन–लाईन तथा हार्ड कॉपी में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 678 दिनांक 19.06.2019 के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को समर्पित है।

विषयक परियोजना में सरकार के वन विभागीय पत्रांक 2717 दिनांक 19.07.2019 द्वारा वनभूमि अपयोजन के लिए क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर मजरूआ खास जंगल–झाड़ी मौजा–नावाडीह, पनारी एवं केवाल में रकवा–8.08 हे0 संबंधी सुसंगत अभिलेख सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1120 दिनांक 02.11.2022 द्वारा सरकार को प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तत्पश्चात् सरकार के पत्रांक 3428 दिनांक 25.11.2022 द्वारा भवदीय के पत्रांक 1298 दिनांक 08.07.2019 से प्रतिवेदित मंतव्य पर वैकल्पिक स्थल संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 61 दिनांक 06.01.2023 द्वारा प्रयोक्ता

अभिकरण से पुनः वैकल्पिक स्थल चयन हेतु निदेशित किया। इस क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 17 दिनांक 12.01.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वैकल्पिक स्थल का प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल को समर्पित किया गया जो वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा ने अपने पत्रांक 119 दिनांक 08.02.2023 द्वारा इस कार्यालय को समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया है कि विषयक परियोजना का प्रस्ताव हेतु वैकल्पिक स्थल क चयन कर लिया गया है। इसका स्थलीय निरीक्षण वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा दिनांक 14.01.2023 को किया गया जिसमें पाया गया कि पूर्व के प्रस्तावित स्थल के प्लॉट पर ही नये स्थल का चिन्हित किया गया जिसमें कुल 152 वृक्षों के पातन होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में गये नये प्रस्तावित स्थल उक्त ग्रिड सब स्टेशन के लिए उपयुक्त है, जिसका वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा नये चयनित स्थल का फोटोग्राफ्स तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित की गई Geo-Reference Map, Topo Map, Kml File, Cadastral Map, Tree Enumeration List इत्यादि इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। पूर्व में ही उक्त प्लॉट के लिए उपायुक्त, चतरा द्वारा FRA प्रमाण पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है।

वृक्षों का गणना सूची का सारांश निम्नवत् है :–

(क)	सागवान	–	66 पेड़
(ख)	महुआ	–	31 पेड़
(ग)	शीशम	–	55 पेड़
	कुल :	–	152 पेड़

सादर सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

आपका विश्वासी,

अनु0–यथोक्त।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

Telefax – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक :– 119 दिनांक :– 08.02.2023

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषयः– **ग्राम बोंड़ा, थाना–हंटरगंज–133, खाता नं0–85, प्लॉट नं0–40 पर 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 अधिसूचित वन भूमि अपयोजन के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका ज्ञापांक 2879 दिनांक 19.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना ग्राम बोंडा, थाना–हंटरगंज–133, खाता नं0–85, प्लॉट नं0–40 पर 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव ऑन–लाईन तथा हार्ड कॉपी में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 678 दिनांक 19.06.2019 के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को समर्पित है।

विषयक परियोजना में सरकार के वन विभागीय पत्रांक 2717 दिनांक 19.07.2019 द्वारा वनभूमि अपयोजन के लिए क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर मजरूआ खास जंगल–झाड़ी मौजा–नावाडीह, पनारी एवं केवाल में रकवा–8.08 हे0 संबंधी सुसंगत अभिलेख सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1120 दिनांक 02.11.2022 द्वारा सरकार को प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तत्पश्चात् सरकार के पत्रांक 3428 दिनांक 25.11.2022 द्वारा भवदीय के पत्रांक 1298 दिनांक 08.07.2019 से प्रतिवेदित मंतव्य पर वैकल्पिक स्थल संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 61 दिनांक 06.01.2023 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से पुनः वैकल्पिक स्थल चयन हेतु निदेशित किया। इस क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 17 दिनांक 12.01.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वैकल्पिक स्थल का प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल को समर्पित किया गया। विषयक परियोजना का प्रस्ताव हेतु वैकल्पिक स्थल क

108

चयन कर लिया गया है। इसका स्थलीय निरीक्षण वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा दिनांक 14.01.2023 को किया गया जिसमें पाया गया कि पूर्व के प्रस्तावित स्थल के प्लॉट पर ही नये स्थल का चिन्हित किया गया जिसमें कुल 152 वृक्षों के पातन होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में गये नये प्रस्तावित स्थल उक्त ग्रिड सब स्टेशन के लिए उपयुक्त है, जिसका वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा नये चयनित स्थल का फोटोग्राफ्स तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित की गई Geo-Reference Map, Topo Map, Kml File, Cadastral Map, Tree Enumeration List इत्यादि इस पत्र के साथ संलग्न कर छः प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। पूर्व में ही उक्त प्लॉट के लिए उपायुक्त, चतरा द्वारा FRA प्रमाण पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है।

वृक्षों का गणना सूची का सारांश निम्नवत् है :-

(क)	सागवान	–	66 पेड़
(ख)	महुआ	–	31 पेड़
(ग)	शीशम	–	55 पेड़
	कुल :	–	152 पेड़

सादर सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
प्राप्ति सं० 432
दिनांक 08.02.2023

अनुलग्नक–यथोक्त

आपका विश्वासी

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, चतरा

107

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

E-mail Address : dfo-chatranorth@gov.in, Phone No. : 06541-296022

पत्रांक : 169 दिनांक : 16.01.2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
चतरा।

विषय :- ग्राम–बोंडा, थाना–हंटरगंज–133, खाता न0–85, प्लॉट न0–40 पर 132/33 के0 वी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 अधिसूचित वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 32 दिनांक 07.01.2023 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 15 दिनांक 03.01.2023

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रसंगाधीन के सम्बंध में सूचित करना है कि ग्राम–बोंडा, थाना–हंटरगंज–133, खाता न0–85, प्लॉट न0–40 पर 132/33 के0 वी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 अधिसूचित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव आठ प्रतियों में इस कार्यालय का पत्रांक 1600 दिनांक 07.06.2019 द्वारा प्रेषित की गयी थी तथा गैर वनभूमि पर क्षतिपुरक वनरोपण का प्रस्ताव भी इस कार्यालय का पत्रांक 1861 दिनांक 29.09.2022 द्वारा समर्पित की गयी थी, तदनुरूप उक्त प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची ने अपने पत्रांक 1120 दिनांक 02.11.2022 द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, रांची को भेज दी गयी। बाद में ज्ञात हुआ कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची ने अपने ज्ञापांक 1298 दिनांक 08.07.2019 द्वारा उक्त ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कुल 948 वृक्षों जिसमें 577 सागवान वृक्ष है, का पातन के कारण आपति लगाकर वैकल्पिक स्थल का चुनाव करने हेतु निदेश दिया गया था, जिसमें इस प्रकार की बर्बादी संभावित न हो सके। इसी आपति के आलोक में आपके पत्रांक 32 दिनांक 07.01.2023 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 15 दिनांक 03.01.2023 द्वारा भी सुस्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस कार्यालय का पत्रांक 61 दिनांक 06.01.2023 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से पुनः वैकल्पिक स्थल चयन हेतु निदेश दिया गया, जिसपर प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 17 दिनांक 12.01.2023 (छायाप्रति सलंग्न) द्वारा सूचित किया है कि :–

"पुनः स्थल निरीक्षण के उपरान्त प्रस्तावित ग्रिड सब–स्टेशन भूमि का ***orientation*** *उसी प्लॉट सं –40, खाता सं 85 रकबा – 4.04 हे0 में पुनः बदलाव कर कम से कम वृक्षों के पातन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित ग्रिड सब–स्टेशन के निर्माण का निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत निम्नलिखित वृक्षों का पातन ग्रिड निर्माण हेतु किया जा सकता है :–*

(क) सागवान वृक्ष – 66 पेड़
(ख) महुआ वृक्ष – 31 पेड़
(ग) शीशम वृक्ष – 55 पेड़
कुल वृक्ष – 152 पेड़

नव ***orientation*** *स्थल का* ***kml file*** *एवं वृक्षों की सूची तैयार कर आपके कार्यालय में अग्रतर कार्यवाही हेतु समर्पित किया जा रहा है ।*

138
25/01/23

E:\MAP SECTION\FC Act (Parivesh)\Bonra Sub Station\Bonra Forwarding.docx

106

विदित हो कि पूर्व में प्रस्तावित ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु स्थल में पड़ने वाले एवं पातित होने वाले कुल 948 वृक्षों की तुलना में वर्तमान में पातित होने वाले कुल 152 वृक्षों की संख्या कम है।

*महाशय से कहना है कि उक्त ग्रिड सब–स्टेशन को दो संचरण लाइनों से जोड़ा जाना है जिसका वन प्रस्ताव भी समर्पित किया जा चुका है तथा दोनों संचरण लाइनों (132 के0 वी0 हंटरगंज – चतरा एवं 132 के0 वी0 हंटरगंज – ईटखोरी संचरण लाइन) का शेष कार्य प्रगति पर है एवं प्रस्तावित 132/33 के0 वी0 ग्रिड सब–स्टेशन हंटरगंज जिसका निर्माण कार्य चयनित भूमि अंचल – हंटरगंज के ग्राम – बोंडा, खाता न0–85, प्लॉट न0–40 के अलावा अन्यत्र किसी प्लॉट पर बनाना राज्य सरकार एवं निगम के हित में सही प्रतीत नहीं होता है। विदित हो कि उक्त प्लॉट के लिए उपायुक्त चतरा द्वारा **FRA & NOC** भी निर्गत किया जा चुका है।''*

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पुनः चयनित वैकल्पिक स्थल का उनके अनुरोध पर दिनांक 14.01.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पुर्ववतः प्लॉट पर ही नये स्थल का चयन में कुल 152 वृक्षों, यानि लगभग 38 वृक्ष प्रति हेक्टेयर ही पातन होगा जो भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निर्गत निदेशों के अनुरूप है। उल्लेखनीय है कि उक्त ग्रिड सब स्टेशन के दो ट्रांसमिशन लाईन क्रमशः चतरा से हंटरगंज 132 के.वी. तथा ईटखोरी से हंटरगंज 132 के.वी, से जोड़ा जाना है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पुर्व के प्लॉट पर ही चयन किये गये नये प्रस्तावित स्थल उक्त ग्रिड सब स्टेशन के लिए उपयुक्त है, जिसका अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है तथा उसका फोटोग्राफस तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित की गयी Geo-Reference Map, Topo Map, Kml File, Cadastral Map, Tree Enumeration List इत्यादि इस पत्र के साथ आठ प्रतियों में सलंग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि चयनित वैकल्पिक स्थान पर ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

16/01/2023

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल।

16/01/23

E:\MAP SECTION\FC Act (Parivesh)\Bonra Sub Station\Bonra Forwarding.docx